

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-448 / 2008
 संस्थित दिनांक-25 / 06 / 2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी सालेटेकरी, आरक्षी केन्द्र बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

नंदलाल मरकाम पिता रामनाथ, उम्र-42,
 निवासी-ग्राम पूर्वाटोला लांजी, थाना लांजी
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-10/09/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (तीन काउंट), 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-184/187 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-19.05.2011 को समय 1:45 बजे स्थान बड़घाट, लांजी रोड़, मंदिर के नीचे, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.पी. 50/पी.0119 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को पेड़ से टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठे इन्द्रोतिनबाई, जामकुंवरबाई, मोहन को साधारण उपहति कारित किया तथा आहत ढागा को अस्थि भंग कारित कर घोर उपहति कारित किया और उक्त आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-19.05.2011 को समय 1:45 बजे स्थान बड़घाट, लांजी रोड़, मंदिर के नीचे, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0119 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पेड़ से टकरा दिया, जिससे बस में बैठे यात्रियों को चोट कारित हुई। सूचनाकर्ता हंसराज द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी सालेटेकरी में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2008, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184/187, 134/183, 134/194 मोटर यान अधिनियम का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया तथा जिस पर थाना बिरसा में असल नंबर अपराध क्रमांक-26/2008, धारा-279, 337

भा.द.वि. एवं धारा-184/187, 134/183, 134/194 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध आहत ढागा की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(तीन काउंट), 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-184/187 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-19.05.2011 को समय 1:45 बजे स्थान बड़घाट, लांजी रोड़, मंदिर के नीचे, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के व वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0119 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पेड़ से टकरा दिया, जिससे बस में बैठे आहत इन्द्रोतिनबाई, जामकुंवरबाई, मोहन को साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पेड़ से टकरा दिया, जिससे बस में बैठे आहत ढागा को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुर्घटना में घायल आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- मोहन (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह पब्लिक बस से बाजार जा रहा था तभी बड़घाट के मोड़ पर गाड़ी झाड़ से टकरा गई, जिससे उसे सीने व बांये कान के पास चोट आयी

थी। उक्त वाहन को आरोपी तेज गति से चला रहा था। उक्त दुर्घटना में उसके अलावा 7-8 लोगों को भी चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल वाली मोड़ पर वाहन धीमी गति से थी। साक्षी ने इस जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की है कि दुर्घटना वाहन के ब्रेक फेल होने के कारण हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने मुख्य परीक्षण में आरोपी के द्वारा वाहन तेज चलाये जाने के कथन का प्रतिपरीक्षण में वाहन धीमी गति से चलाये जाने के तथ्य को भी स्वीकार किया होने से साक्षी के कथन में परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की गलती से कथित दुर्घटना कारित होने के कथन नहीं किये हैं।

4— सूचनाकर्ता हंसराज (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना के समय वह पब्लिक बस में बैठकर लांजी से सालेटेकरी आ रहा था और बस में अन्य यात्री भी बैठे हुए थे। रास्ते में बस सालेटेकरी की गोलाई पर पेड़ से टकरा गई। उसे उक्त दुर्घटना में कोई चोट नहीं आयी थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लिखायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि बस का चालक बस को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पेड़ से टकरा दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 नहीं लिखायी थी तथा पुलिस ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। इस प्रकार साक्षी ने सूचनाकर्ता के रूप में लिखायी गई रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य पेश नहीं की है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की कथित चालक के रूप में पहचान न करते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

5— कलमसिंह (अ.सा.3), ढागा (अ.सा.4), भैयालाल (अ.सा.5) व इन्द्रोतिनबाई (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वे आरोपी को नहीं पहचानते। इन साक्षीगण ने दुर्घटना कारित वाहन को कथित रूप से आरोपी के द्वारा चलाये जाने के कथन नहीं किये हैं तथा यह भी नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित वाहन को कौन चला रहा था। इस प्रकार साक्षीगण ने आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य अपने कथन में पेश नहीं की है।

6— डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.05.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक रिखीराम क्रमांक-207 द्वारा आहत ढागा पिता रूपसिंह, श्रीमति इन्द्रोतिनबाई पति भैयालाल, श्रीमति

जामकुंवरबाई पति रमऊ को परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। उसके द्वारा आहतगण का परीक्षण किया गया था, उसके मतानुसार आहतगण को कड़े एवं बोथरे वस्तु से चोट आना प्रतीत हो रही थी। आहत ढागा पिता रूपसिंह को दाहिना हाथ हिलाने में परेशानी हो रही थी तथा दाहिने कंधे के डिस्लोकेशन की संभावना को देखते हुए उसके द्वारा आहत को अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास ईलाज एवं अभिमत हेतु भेजा गया था। उक्त आहतगण की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 से लगायत प्रदर्श पी-11 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कहना है कि दिनांक-21.05.2008 को उसके साथ पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर एन.के.शर्मा द्वारा आहत मोहन पिता शिवनाथ के चोटों का परीक्षण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है, जिसके अनुसार आहत को सीने में एक सूजन थी जो कि कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत होती है तथा आहत को उक्त चोट के परीक्षण हेतु बालाघाट रिफर किया गया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है, जिस पर डॉक्टर एन.के.शर्मा के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने घटना के समय उक्त आहतगण को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

7- डॉक्टर डी.के.राउत (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.05.2008 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-21.05.2008 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के.सेन द्वारा आहत ढागा पिता रूपसिंह के दाहिने हाथ का एक्सरे किया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-1992 है जो आर्टिकल ए-1 है। उसके द्वारा उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के दाहिने कंधे के जोड़ पर डिस्लोकेशन होना पाया था। उक्त एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आहत ढागा को घटना के समय दाहिने कंधे में अस्थि भंग होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

8- सुरेश प्रसाद खाण्डे (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.05.2008 को चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता हंसराज के द्वारा वाहन क्रमांक-एम.पी.50/पी.0119 के चालक के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी, जिस पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/2008, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं 184/187, 134/183, 146/196 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रदर्श पी-1 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल कायमी हेतु थाना बिरसा भेजा गया था। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही अशोक की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उसके द्वारा आहतगण को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी हंसराज, साक्षी जामकुंवरबाई, ढागा, भैयालाल, कमलसिंह, इन्द्रोतिबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, किन्तु अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी ने दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।

9— जुगराम विश्वकर्मा (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—20.05.2008 को चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक—26/2008, धारा—279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त दिनांक को अशोक से साक्षियों के समक्ष क्षतिग्रस्त मिनी बस क्रमांक—एम.पी.50/पी.0119 को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 के अनुसार जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी मोहन वाहने के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक—30.05.2008 को आरोपी नंदलाल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में शेष अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, किन्तु अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी ने दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।

10— जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करने वाले शशि कुमार गिरी (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि उक्त वाहन के परीक्षण में स्टेरिंग वहीं नहीं होना और हेड लाईट टूटा होना पाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उक्त घटना वाहन के स्टेरिंग फेल होने की संभावना को स्वीकार किया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मात्र एक साक्षी मोहन (अ.सा.1) ने उक्त वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान की है, किन्तु इस साक्षी ने भी आरोपी की उक्त दुर्घटना में कोई गलती होने के कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण जो कि स्वयं आहत भी रहे हैं, इन साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान नहीं की गई है और न ही दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाये जाने के कथन किये हैं। किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती होने के कथन भी नहीं किये हैं। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। मामले में प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है तथा

समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

12— अभियोजन ने कथित घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0119 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को पेड़ से टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठे इन्द्रोतिनबाई, जामकुंवरबाई, मोहन को साधारण उपहति कारित किया तथा आहत ढागा को अस्थि भंग कारित कर घोर उपहति कारित किया और उक्त आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 279, 337(तीन काउंट), 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-184/187 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक-एम.पी.50/पी.0119 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार साहिद कमाल पिता मुबारक हुसैन निवासी बैहर को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट